हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 107

मंगलवार, 31 मार्च, 2026/10 चैत्र, 1947(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या : 4139 (स्थगित) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"I will request all the Hon'ble Members please not to listen to the phones in the House. If you have phones, please keep them in a silent mode."

Special mention by the Hon'ble Speaker

"Before I come for the questions of the day, I would like to inform the Hon'ble Members that today in the House, our former MLA, Shri Ajay Mahajan, is here, and DAV School, Solan, is also witnessing the proceedings of the Vidhan Sabha."

Ruling by the Hon'ble Speaker

"I request the all Hon'ble Members no debate, no bhasan in Question Hour. This is only the second question which has been followed up.

तारांकित प्रश्न संख्याः 4220 से 4222 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा मुख्य मंत्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 4223 से 4248 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1653 से 1662 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे।

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने सदन में एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी के चलते सीमा क्षेत्र में बने माहौल के दूरगामी दुष्प्रभावों बारे चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि इस सबके परिणामस्वरूप पंजाब के लोग भी 31 मार्च, 2026 से हिमाचल प्रदेश की गाड़ियों को पंजाब में प्रवेश नहीं करने देंगे। अतः माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इस विषय पर सदन को वास्तविक वस्तुस्थिति से अवगत करवाना चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि इस विषय से संबंधित सूचना अभी सरकार के पास नहीं है लेकिन वे इस विषय पर पंजाब के मुख्य मंत्री श्री भगवंत मान से बात करेंगे।

शून्य काल

1. **श्रीमती रीना कश्यप, सदस्य** ने अपने चुनाव क्षेत्र में सड़कों की दयनीय स्थिति बारे अवगत करवाते हुए सरांह चण्डीगढ़ सड़क जोकि लगभग 6 पंचायतों को जोड़ती है, को शीघ्र ठीक किए जाने के अलावा उनके चुनाव क्षेत्र की विभिन्न खस्ताहाल सड़कों की दशा सुधारने हेतु भी लोक निर्माण मंत्री से आग्रह किया।

   माननीय अध्यक्ष ने कहा कि निश्चित तौर पर माननीय सदस्या ने महत्वपूर्ण विषयों को सदन के ध्यान में लाया है जिन्हें विधान सचिवालय विभाग के साथ टेक-अप करेगा और की गई कार्रवाई से माननीय सदस्या व माननीय सदन को भी सूचित करेगा।

2. **श्री सुरेश कुमार, सदस्य** ने अपने चुनाव क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समीरपुर का मुद्दा उठाते हुए चाहा कि इस स्कूल में पर्याप्त क्लास रूम नहीं है। अतः स्कूल के साथ लगती निजी भूमि को अधिगृहित करके स्कूल का भवन बनाया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, बगवाड़ा में भी काफी जगह उपलब्ध होने के दृष्टिगत वहां पर खेल हॉस्टल बनाने हेतु शिक्षा मंत्री जी से आग्रह किया।

   इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा -

   The issues raised by the Hon'ble Member are regarding the construction and some problems which have been faced by the students in both education institutions, I hope the Education Department will take a cognizance of it. However, the Vidhan Sabha Secretariat will take-up these matters with the Education Department and necessary steps, taken in this

behalf, will be informed to the Hon'ble Members as well as to the Hon'ble House.

3. **श्री रणधीर शर्मा, सदस्य** ने अपने चुनाव क्षेत्र में बिजली की कम वॉल्टेज की वजह से लोगों को उनके रोज़मर्रा के कार्यों में आ रही बाधा के अलावा वहां पर फील्ड स्टाफ की कमी के संबंध में विषय उठाया।

इसके अलावा उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा शून्य काल को आरंभ करने की मंशा की सराहना करते हुए इस बात की चिन्ता भी व्यक्त की कि सरकार द्वारा शून्य काल के दौरान उठने वाले मुद्दों को बहुत हल्के में लिया जा रहा है तथा इन पर फील्ड स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने चाहा कि शून्य काल के दौरान जो माननीय सदस्य मुद्दे उठाते हैं उन्हें सरकार गम्भीरता से लें।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा-

"मैं बताना चाहता हूं कि ज़ीरो आवर में जितने भी विषय अभी तक उठे हैं, उनको मॉनिटर करने की व्यवस्था भी शुरू की गई है। इसी सत्र के दौरान अभी मेरी सचिव, विधान सभा से इस विषय पर बात हुई है। I will be personally monitoring all the issues, which have been raised in the Zero Hour in the Vidhan Sabha. If need be, we will be summoning the heads of the departments to resolve all those issues, or they have to reply to all those issues to the Hon'ble Members as well as to the Vidhan Sabha also. This has already been decided. I am likely to constitute a committee under the Chairmanship of the Speaker for this purpose. This is what I want to inform the House."

4. **श्री लोकेन्दर कुमार, सदस्य** ने खेल विभाग द्वारा वर्ष 2015 में दत्तनगर, रामपुर में स्पोर्ट्स हॉस्टल के शिलान्यास तथा अप्रैल, 2024 में वर्तमान सरकार द्वारा इसके उद्घाटन के बावजूद वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में इस स्पोर्ट्स होस्टल के संचालन हेतु कोई भी ठोस और स्पष्ट प्रावधान नहीं होने बारे विषय उठाया।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि विधान सभा सचिवालय ने इसका संज्ञान लिया है और हम चाहेंगे कि इस विषय पर संबंधित विभाग कार्रवाई करे और की गई कार्रवाई से माननीय सदस्य को भी अवगत करवाया जाएगा।

5. **डॉ0 जनक राज, सदस्य** ने कुछ वर्ष पूर्व विधान सभा में भांग की खेती को वैध करने को लेकर चर्चा होने के पश्चात इस हेतु कमेटी का गठन करने के बावजूद इस पर कोई भी पॉलिसी न बनाने बारे विषय उठाया।

इस पर **माननीय अध्यक्ष** ने कहा कि माननीय सदन में पहले भी इस विषय पर बहुत चर्चा हुई है और कमेटी भी बनी थी लेकिन उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ, यह जानकारी आप भी चाहते हैं और माननीय सदन भी चाहता है। हम इस विषय पर कार्रवाई करेंगे और की गई कार्रवाई से आप सभी को और सदन को भी अवगत करवाया जाएगा। यह कमेटी माननीय राजस्व मंत्री के अधीन बनी थी। इसलिए हम विभाग से भी कहेंगे और माननीय राजस्व मंत्री महोदय से भी अनुरोध करेंगे कि वे सदन को सूचित करें कि इस विषय पर क्या कार्रवाई हुई है।

6. **श्री दीप राज, सदस्य** ने अपने चुनाव क्षेत्र की सड़कों की दयनीय स्थिति से अवगत करवाते हुए आग्रह किया कि जो लोग सरकार के नाम अपनी जमीन लगाते हैं, उन्हें बैंको से एन0ओ0सी0 लेने में समस्या आती है क्योंकि कई लोगों ने बैंको से लोन लिया हुआ है और बैंक एन0ओ0सी0 देने से मना कर देते हैं जिससे जमीन विभाग के नाम नहीं हो पाती। अतः जो लोग सरकार के नाम अपनी जमीन सड़कों को दान में देते हैं इस हेतु उन्हें कोई नियम बनाए जाएं।

इस पर **माननीय अध्यक्ष** ने कहा -
इसी माननीय सदन ने एक कानून पास किया था लेकिन उस पर अभी तक राष्ट्रपति की असेंट नहीं मिली है। वह कानून यह था कि जो पुरानी बनी हुई सड़कें हैं जिनका विस्तार आप कर रहें है उसकी कभी वाइडनिंग होती है तो लोग कहते हैं कि यह ज़मीन अभी भी हमारे नाम पर है जबकि नियमों के अनुसार सड़क से 6 मीटर तक का क्षेत्र लोक

निर्माण विभाग का माना जाता है as per Road Side Control Act और उसके नियमों के अनुसार। इसीलिए हमने वह एक्ट पास किया था कि ऐसी सभी संपत्तियां जो सरकारी विभागों जैसे हेल्थ, लोक निर्माण विभाग, एग्रीकल्चर और एजुकेशन संस्थानों के पास हैं उनका इंतकाल संबंधित विभागों के नाम पर कर दिया जाए लेकिन उस बिल पर अभी तक राष्ट्रपति की असेंट नहीं आई है। इसलिए इस विषय को we will take-up the matter with the Government and see if the Bill has not been assented to by the Hon'ble Governor or by the Hon'ble President of India, in that case the Bill should be moved again in this House so that we can pass it again. Thereafter, there will be no need for assent for that.

7. **श्री इन्द्र सिंह, सदस्य** ने शिक्षा विभाग से संबंधित विषय उठाया कि वर्ष 2014 से 2017 तक हाई स्कूलों को पदोन्नत कर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का दर्जा देने के बावजूद वहां पर्याप्त स्टाफ नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य ने शिक्षा से संबंधित जो विषय उठाया है मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा की गई कार्रवाई से सदन और माननीय सदस्य को अवगत कराएंगे।

8. **श्री बिक्रम सिंह, सदस्य** ने अपने चुनाव क्षेत्र के पीरस्लुई और कूना क्षेत्र में बहुत तेज़ आवाज़ के साथ ज़मीन फटने से लगभग 6 किलोमीटर तक दरारें आने से उस क्षेत्र में पहाड़ के ऊपर बने मकानों को भारी नुकसान होने बारे विषय उठाते हुए कुना पंचायतों के तीन मकानों तथा सुई पंचायत के कुछ क्षतिग्रस्त मकानों को कोई भी सहायता राशि न मिलने बारे उचित धनराशि मुहैया करने बारे विषय उठाया।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि विधान सभा सचिवालय इस विषय को सम्बन्धित विभाग और प्रशासन के साथ उठाएगा और की गई कार्रवाई से आपको भी सूचित करेंगे और इन तमाम व्यक्तियों को रिलीफ मिले, उसको भी हम सुनिश्चित करेंगे।

9. **कुमारी अनुराधा राणा, सदस्य** ने विषय उठाया कि एस0एम0सी0 अध्यापक जो एल0डी0आर0 परीक्षा में रह गए हैं उन्हें दूसरा मौका दिया जाना चाहिए।

माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा काफी समय से लम्बित था। हमारी कैबिनेट द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एल0डी0आर0 के माध्यम से उनको हम अपने शिक्षा विभाग में ऑब्ज़र्व करेंगे और उस इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए माननीय सदस्या का भी काफी योगदान है। इसमें जो भी बैस्ट पॉलिबल होगा, किया जाएगा।

10. **श्री राकेश जम्वाल, सदस्य** ने अपने चुनाव क्षेत्र में सुन्दरनगर की सीवरेज व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए वहां की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह किया कि चूंकि अब भारत सरकार इसके लिए धनराशि जारी कर रही है तो शीघ्र इसकी डी0पी0आर0 केन्द्र सरकार को बना कर भेजी जाए। इसके अलावा उन्होंने इस बारे में बी0बी0एम0बी0 को भी इस मल निकासी योजना में सुधार करने के आदेश जारी करने हेतु कहा।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि विभाग ने इसका संज्ञान ले लिया है और यह हमारे रिकॉर्ड पर भी आ गया है। We will take up this issue but what I want to say is कि यह मुद्दा ऐसा है जोकि आपकी विधायक प्राथमिकता में भी आएगा यानी पहले विधायक प्राथमिकता में आएगा। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को जाएगा।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे विषय जीरो आवर में रेज़ करना उचित नहीं है। Anyways you have raised this issue, certainly we have to specify the parameters for the Zero Hour also. After the Session I will be doing all this exercise.

11. **श्री मलेन्द्र राजन, सदस्य** ने अपने चुनाव क्षेत्र के राम गोपाल मंदिर डमटाल में प्रस्तावित सोलर प्लांट के बारे में विषय उठाते हुए जानना चाहा कि यह परियोजना धरातल पर कब तक उतरेगी?

इस पर **माननीय अध्यक्ष** ने कहा कि माननीय सदस्य द्वारा यह विषय इस सदन में कई बार जीरो आवर के माध्यम से उठाया है और जो सदस्य ने वहां के लिए प्रस्तावित सोलर प्लांट की बात कही है, we will take up this issue with the respective Department and whatever action will be taken by the Department, we will inform the Hon'ble Member and the House accordingly.

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने विभिन्न समाचार पत्रों में बजट के बारे में छपी भ्रामक खबर के बारे में वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए विस्तृत वक्तव्य दिया।

माननीय मुख्य मंत्री के वक्तव्य के पश्चात माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार से प्रदेश सरकार को जो सहायता मिल रही है उसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक भी धन्यवाद का शब्द नहीं कहा जा रहा है जबकि उन्हें केन्द्र का आभारी होना चाहिए।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती ने सोलन जिला में चैस्टर हिल I व चैस्टर हिल-IV में 274 बीघा जमीन की खरीद-फरोख्त के बारे में विषय उठाते हुए माननीय मुख्य मंत्री और माननीय राजस्व मंत्री से आग्रह किया गया कि इस विषय के बारे में सदन को वास्तविक तथ्यों से अवगत करवाया जाए।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने टोल टैक्स बैरियर जो ठेकेदारों को आबंटित किए हैं उससे सरकार को होने वाले आर्थिक लाभ के बारे में भी जानना चाहा।

2. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

श्री राकेश कालिया, सभापति, प्राक्कलन समिति (वर्ष 2025-26) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(1) समिति का 14वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि खनन् सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राजस्व हानि की संवीक्षा बारे तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है;

(2) समिति का 15वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 25वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2022-23) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा योजना विभाग से सम्बन्धित है; और

(3) समिति का 16वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित है।

3. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री सुख राम चौधरी, सदस्य ने कार्य- सलाहकार समिति का 16वाँ प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

4. सांविधिक ईकाईयों हेतु मनोनयन

श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया -

"That in pursuance of Statute 8(1)(ix) of the First Statutes of the Himachal Pradesh University, the members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct two representatives from amongst themselves to serve as the members of the Himachal Pradesh University Court."

प्रस्ताव स्वीकार।

5. विधायी कार्य

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक-6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक-6) पुरःस्थापित हुआ।

(II) **सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण**

श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि "भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक-4)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि "भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक-4) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"**भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक-4) " पारित हुआ।**

6. गैर-सरकारी सदस्य कार्य

(i) **श्री कुलदीप सिंह राठौर, सदस्य** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया तथा चर्चा कीः-

> "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि केन्द्र सरकार द्वारा यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूज़ीलेंड और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से प्रदेश के सेब/फल उत्पादकों की अर्थव्यवस्था को संरक्षित रखने हेतु नीति बनाने पर विचार करें।"

(01.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

(भोजनावकाश के उपरांत 2.05बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने बॉर्डर जिलों से लगते पंजाब व हरियाणा के इलाकों में प्रदेश सरकार द्वारा एच0पी0 टोल टैक्स (Entry Fee) के संबंध में फैलाए जा रहे भ्रम व असंतोष के बारे में वास्तविक तथ्यों से सदन को अवगत करवाया।

गैर-सरकारी सदस्य कार्य पर निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री कुलदीप सिंह राठौर, सदस्य

(14.20 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न सभापति पदासीन हुए।)

2. श्री अनिल शर्मा, सदस्य
3. माननीय शिक्षा मंत्री
4. श्री बलबीर सिंह वर्मा, सदस्य
5. श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सदस्य
6. डॉ0 जनक राज, सदस्य
7. श्री हरीश जनारथा, सदस्य

माननीय राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प स्वीकार।

(ii) **डॉ0 जनक राज, सदस्य** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया तथा चर्चा की:-

"यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में निर्माणाधीन तथा संचालित जल विद्युत परियोजनाओं के सामाजिक एवं पपपर्यावरणीय प्रभावों के

आधार पर रोजगार सुनिश्चित करने हेतु नीति बनाने पर विचार करें""

(04.30 बजे अपराह्न श्री आशीष बुटेल सभापति पदासीन हुए।)

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री

संकल्प पर चर्चा हेतु समयाभाव के कारण चर्चाधीन संकल्प को अगले गैर-सरकारी सदस्य दिवस के लिए स्थानांतरित किया गया।

05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक बुधवार, 01 अप्रैल, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।